फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

रूपा पिता जयचंद कुमावत निवासी जोयड़ा तहसील भूपालसागर

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर

कार्यवाही :– अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी.

प्रकरण संख्या 68/2022 (विविध)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.07.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट ने विपक्षी/रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 43/2015 (रा.अ.) दर्ज होकर बहस हेतु दिनांक 10.12.2021 नियत थी। उक्त दिनांक को प्रार्थी/अपीलांट के वकील साहब के छोटे भाई के यहां पर मुम्बई में शादी थी और स्वयं प्रार्थी/अपीलांट का स्वास्थ्य खराब होकर अस्वस्थ होने के कारण न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं दे सका और न ही अपने अधिवक्ता को सूचित कर पाया इस कारण प्र. सं. 43/2015 (रा.अ.) को न्यायालय द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। उक्त प्रकरण में पत्रावली अंतिम बहस की स्टेज पर लम्बित होकर उक्त प्रकरण में यदि मेरिट पर सुनवाई होकर निर्णय नहीं हुआ तो प्रार्थी/अपीलांट को न्याय से वंचित होना पड़ेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उक्त प्रकरण संख्या 43/2015 (रा.अ.) को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें। राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थी/अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता के न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी/अपीलांट ने पेशी पर बीमार हो जाने का गलत कथन अंकित किया है तथा प्रार्थी/अपीलांट ने न्यायालय में अनुपस्थिति बाबत् कोई ठोस एवं सद्भावी कारण नहीं बताया है जिससे प्रार्थी कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। चूंकि प्रार्थी/अपीलाण्ट ने नियत तारीख पेशी पर बीमार हो जाने का कथन	.....लगातार

	करते हुए नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होसकने का निवेदन किया है किन्तु कथन की पुष्टि में बीमारी संबंधी कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी सहानुभूति रखते हुए न्यायहित में राशि 1000/– रूपये की कोस्ट पर प्रकरण संख्या 43/2015 (रा.अ.) निर्णय दिनांक 10.12.2021 को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी/अपीलांट 1000/– रूपये कोस्ट की राशि राजकोष में जमा करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल प्रकरण संख्या 43/2015 (रा.अ.) के संलग्न की जावे। 	